

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 241/2022

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

गुरबचन सिंह पुत्र काहन सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया।

वादी

बनाम

1. जसवीर सिंह पुत्र भूर सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया।
2. ठाणा सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया।
3. निर्मल सिंह पुत्र ठाणा सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया।
4. बलजिन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया।
5. बलजीतकौर उर्फ हरदीप कौर पत्नी बुटासिह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया
6. बाबर सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया।
7. लखपत सिंह पुत्र भूर सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया।
8. पी.एन.बी. बैंक शाखा नगराना तहसील संगरिया जरिये शाखा प्रबंधक।
9. भारतीय स्टेट बैंक शाखा लीलावाली तहसील संगरिया जरिये शाखा प्रबंधक
10. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

---प्रतिवादीगण---

डिक्री

दिनांक :- 25.3.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल

कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री प्रिन्स मिढा
वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव
तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती

है:- चक 13 एमकेएस

बाबर सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति जटसिख नि.शेरगढ़ की कब्जा काशत भूमि :-

| प.न. | मु.न. | किला नं. |
|---------|-------|---|
| 177/239 | 42 | 1/1/0.228 है. 1/2/0.025 गै.मु.खाला, 9/0.253, 10/0.253 |
| 176/239 | 43 | 6/0.240, 15/0.101 |

निर्मल सिंह पुत्र ठाणा सिंह, ठाणासिह पुत्र दरबारा सिंह बहिब जाति जटसिख सा.शेरगढ़ की
कब्जा काशत भूमि :-

| प.न. | मु.न. | किला नं. |
|---------|-------|--|
| 176/239 | 43 | 4/2/0.215, 4/3/0.025, 5/1/0.228, 6/0.013, 5/2/0.025, गै.मु.खाल |
| 176/238 | 36 | 2/1/0.215 है. 2/2/0.038 गै.मु.रास्ता, 3/1/0.215 है. 3/2/0.038 गै.मु.रास्ता, 25/0.253 |

गुरबचन सिंह पुत्र काहन सिंह जाति जटसिख सा.शेरगढ़ की कब्जा काशत भूमि :-

| प.न. | मु.न. | किला नं. |
|---------|-------|----------------------|
| 177/239 | 42 | 11,12,13,19,20/1.265 |
| 176/239 | 43 | 15/0.152 |

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अमानतदीप सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जटसिख सा.शेरगढ़ की कब्जा काश्त भूमि :-

| प.न. | मु.न. | किला नं. |
|---------|-------|-----------|
| 176/238 | 36 | 17/0.253, |



5 अमानतदीप सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जटसिख सा.शेरगढ़ की कब्जा काश्त भूमि :-

| प.न. | मु.न. | किला नं. |
|---------|-------|-----------|
| 176/238 | 36 | 24/0.253, |

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1068 दिनांक 05.03.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में बलजिन्द्र सिंह, बलजीतकौर द्वारा घरूबंटवारा में भूमि अमानतदीप सिंह को दिया जाना बतलाया है। लेकिन अमानतदीप सिंह वाद पत्र में पक्षकार नहीं है इसलिए उक्त हिस्सा संबंधित काश्तकार के नाम यथावत रखा जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना गज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25-3-2024 को खुले प्रायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक क्लर्क सुव
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया